उत्तराखंड उच्च न्यायालय में

अध्याय 8, नियम 32 (2) (बी) मामले का विवरण

2008 की विशेष अपील संख्या 143

श्रीमती दमयंती बिष्ट

अपीलकर्ता

बनाम

उत्तराखंड राज्य और अन्य।

प्रतिवादी

अपीलकर्ता के अधिवक्ता, श्री सुभाष उपाध्यायश्री एल. पी. नैथानी, महाधिवक्ता और प्रतिवादी के लिए मुख्य स्थायी अधिवक्ता, श्री जे. पी. जोशी

और

2008 की रिट याचिका संख्या 123 (एस/बी)

रमेश चंद्र भारती।याचिकाकर्ता बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य।प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्री राजेन्द्र कोटियाल का संक्षिप्त विवरण रखने वाले अधिवक्ता, श्री परेश त्रिपाठी।प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के अधिवक्ता श्री जे.पी. जोशी और प्रतिवादी संख्या 3 के अधिवक्ता श्री रमन कुमार शाह के साथ महाधिवक्ता श्री एल.पी. नैथानी।

निर्णय की तिथि20-11-2008

ए. एफ. आर. (रिपोर्टिंग के लिए अनुमोदित)

रिपोर्टिंग के लिए अनुमोदित नहीं

तिथि:20-11-2008

न्यायाधीश के आद्याक्षर

टिप्पणी:जब इसे न्यायाधीश के समक्ष हस्ताक्षर के लिए रखा जाएगा तो पीठ रीडर इसे निर्णय के पहले पृष्ठ के शीर्ष पर संलग्न करेगा।

उच्च न्यायालय उत्तराखंड, नैनीताल ।

2008 की विशेष अपील संख्या 143

श्रीमती दमयंती बिष्ट

.अपीलकर्ता

बनाम

उत्तराखंड राज्य और अन्य।

प्रतिवादी

श्री एल. पी. नैथानी, महाधिवक्ता के साथ प्रतिवादी के लिए मुख्य स्थायी अधिवक्ता, श्री जे. पी. जोशी

अपीलकर्ता के अधिवक्ता, श्री सुभाष उपाध्याय।

और

2008 की रिट याचिका संख्या 123 (एस/बी)

रमेश चंद्र भारती।

याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तराखंड राज्य और अन्य।प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्री राजेन्द्र कोटियाल का संक्षिप्त विवरण रखने वाले अधिवक्ता, श्री परेश त्रिपाठी।प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के अधिवक्ता श्री जे.पी. जोशी और प्रतिवादी संख्या 3 के अधिवक्ता श्री रमन कुमार शाह के साथ महाधिवक्ता श्री एल.पी. नैथानी।

कोरमःमाननीय मुख्य न्यायाधीश वी.के. गुप्ता, माननीय न्यायाधीश बी.सी. कांडपाल, माननीय न्यायाधीश धरम वीर

दिनांकः20 नवंबर, 2008

मुख्य न्यायाधीश वी.के. गुप्ता

इस सामान्य निर्णय से, इन दोनों मामलों, विशेष अपील और रिट याचिका का एक साथ निस्तारण किया जा रहा है।

2. यह 19 सितंबर, 2008 को था कि 2008 की विशेष अपील संख्या 143, जिसे एक खण्ड पीठ द्वारा सामान्य रूप से सुना जाना था, को सुनवाई के लिए पूर्ण न्यायपीठ को निर्दिष्ट किया गया था क्योंकि, मामले को पूर्ण न्यायपीठ को सुनवाई के लिए संदर्भित करने वाली

खण्ड पीठ की मत में, पूर्व खण्ड पीठ द्वारा 1 जुलाई, 2008 को अपने आदेश में लिया गया विचार 2008 की रिट याचिका संख्या 123 (एस/बी) में एक बड़ी न्यायपीठ द्वारा पुनर्विचार करने की आवश्यकता थी।

3. विशेष अपील में, रिट याचिका संख्या 807/2008 (एस/एस) में इस न्यायालय की एक विद्वान एकलपीठ द्वारा पारित दिनांक 7 अगस्त, 2008 के निर्णय को चुनौती दी जा रही है, जिससे याचिकाकर्ता द्वारा अपने स्थानांतरण के विरुद्ध दायर की गई रिट याचिका को खारिज कर दिया गया है।याचिकाकर्ता/अपीलार्थी, दिनांक 25 जुलाई, 2008 के आक्षेपित स्थानांतरण आदेश द्वारा कोटाबाग से जिला नैनीताल में मुक्तेश्वर स्थानांतरित किया गया था।25 जुलाई, 2008 का स्थानांतरण आदेश प्रशासनिक आधार पर जारी किया गया था।इससे पहले के एक मामले में, 2008 (एस/बी) की रिट याचिका संख्या 123 होने के नाते, इस न्यायालय की एक खण्ड पीठ ने एक समान मुद्दे और स्थिति पर विचार करते हुए, जहां एक व्यक्ति को प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरित करने की मांग की गई थी, यह विचार व्यक्त किया था (एक अंतर्वर्ती आदेश पारित करते समय) कि यदि किसी व्यक्ति को प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरित किया गया है, तो इसका मतलब है कि उसका स्थानांतरण दंडात्मक प्रकृति का था और साथ ही यह उसके विरुद्ध लगाए गए कुछ आरोपों/आरोपों पर विचार करने पर आधारित था और यह, एक अंतर्वर्ती आदेश पारित करते समय, डिवीजन बेंच की राय में, सेवा न्यायशास्त्र के अनुज्ञेय नहीं था।1 जुलाई, 2008 को पूर्वोक्त रिट याचिका संख्या 123 (एस/बी) में पारित पूर्वोक्त खण्ड पीठ के आदेश में निम्नलिखित टिप्पणियां प्रासंगिक हैं और हम उद्धृत करते हैंः

"आक्षेपित स्थानांतरण आदेश से पता चलता है कि याचिकाकर्ता का स्थानांतरण "प्रशासनिक आधार" पर किया गया है।अतः इसका अर्थ यह है कि उसके मामले में स्थानांतरण दंडात्मक प्रकृति का है और साथ ही यह उसके विरुद्ध कुछ अभिकथनों/आरोपों पर विचार करने पर आधारित है।इस आधार पर किसी व्यक्ति का स्थानांतरण सेवा न्यायशास्त्र के तहत स्वीकार्य नहीं है। "

4. 2008 की रिट याचिका संख्या 123 (एस/बी) में, स्थानांतरण आदेश दिनांक 14 जून, 2008 को याचिकाकर्ता द्वारा इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि चूंकि यह "प्रशासनिक आधार" पर पारित किया गया था, यह कानून की दृष्टि से खराब था।सा कि यहां ऊपर देखा गया है, उक्त रिट याचिका में दिनांक 1 जुलाई, 2008 का अंतर्वर्ती आदेश पारित किया गया था, जिसका प्रासंगिक उद्धरण ऊपर उद्धृत किया गया है।

5. विद्वान एकल न्यायाधीश ने 7 अगस्त, 2008 के आक्षेपित निर्णय में, जहां पैरा 3 में उच्चतम न्यायालय के कुछ निर्णयों का उल्लेख करते हुए, पैरा 4 में 1 जुलाई, 2008 के पूर्वोक्त खण्ड पीठ के आदेश के प्रति निर्देश किया है, यह विचार व्यक्त किया है कि चूंकि आक्षेपित स्थानांतरण आदेश, भले ही प्रशासनिक आधारों पर पारित किया गया हो, को दंडात्मक नहीं कहा जा सकता है, इसलिए अदालतों द्वारा इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।तद्नुसार उक्त स्थानांतरण आदेश को चुनौती देने वाली रिट याचिका को विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा यथासमय खारिज कर दिया गया; अतः वर्तमान विशेष अपील।

6. संचार संख्या 545/XXIV (1)/2008-20/2008 दिनांक 5 जून, 2008 को उत्तराखंड सरकार द्वारा निदेशक, स्कूल शिक्षा को संबोधित करते हुए जारी किया गया था, जिसमें स्थानांतरण से संबंधित कुछ दिशानिर्देश जारी किए गए थे।इस पत्र के पैरा 4 में प्रशासनिक

आधार पर स्थानांतरण से संबंधित जानकारी दी गई है।इस पैरा में यह निर्धारित किया गया है कि प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण मात्र निम्नलिखित स्थितियों के मामले में किया जा सकता हैः

यदि हस्तांतरित किए जाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध गम्भीर शिकायतें हैं या

2. ii.यदि स्थानांतरण चाहने वाले व्यक्ति ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार किया है; या

iii.यदि स्थानांतरण चाहने वाला व्यक्ति कार्य में रुचि नहीं ले रहा है।

पैरा 4 में प्रशासनिक कारणों से स्थानान्तरण करने के आधार के रूप में उपर्युक्त तीन शर्तों को अधिकथित करने के पश्चात् अग्रेतर यह अनुबंध किया गया है और यह अधिकथित किया गया है कि प्रशासनिक आधारों पर स्थानान्तरण न तो 'प्रेरित' शिकायतों पर किया जाना चाहिए और न ही उन्हें 'आकस्मिक' तरीके से आदेश दिया जाना चाहिए और सक्षम प्राधिकारी से, जो प्रशासनिक आधारों पर स्थानान्तरण को प्रभावी बनाना चाहता है, पूर्वोक्त आधारों (अंतरण) के अस्तित्व के साथ-साथ उनपश्चात सत्यता का सत्यापन/पुष्टि करने और अस्तित्व के बारे में अपनी संतुष्टि दर्ज करने के बाद ही आवश्यक है और आधारों की सत्यता, स्थानांतरण प्रभावी होना चाहिए।

8. भारत संघ और अन्य बनाम जनार्दन देबनाथ और अन्य(2004) 4 एस. सी. सी. 245 में रिपोर्ट किए गए एक अन्य मामले में, किसी कर्मचारी के उसके अवांछनीय होने के आधार पर अंतरण से संबंधित मुद्दे पर विचार करते हुए, उच्चतम न्यायालय के उनके आधिपत्य ने निम्नानुसार देखा:

"12. यह हमें दूसरे प्रश्न पर लाता है कि क्या "अवांछनीय" अभिव्यक्ति का उपयोग स्थानांतरण से पहले एक जांच की आवश्यकता है। जगदीश मित्तर बनाम भारत संघ (एआईआरपी 456, पैरा 21) में इस न्यायालय के निर्णय पर प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रतिवाद करने के लिए दृढ़ता से अवलम्ब किया गया कि जब भी अवांछनीय शब्द का उपयोग किया जाता है तो यह कलंक लगाता है और यह नियमित जांच किए बिना नहीं किया जा सकता है।यह प्रस्तुतीकरण स्पष्ट रूप से निराधार है।उक्त मामला उन्मोचन के माध्यम से सेवा में बने रहने को प्रभावित करने वाले आदेश में 'अवांछनीय' अभिव्यक्ति के उपयोग से संबंधित है।इसलिए इस निर्णय का वर्तमान मामले के तथ्यों पर कोई प्रभाव नहीं है।किसी मामले में अदालतों/न्यायाधिकरणों द्वारा यह निर्णय लेने का तरीका, प्रकृति और अभ्यास की सीमा कि क्या यह कलंक लगाता है या दंड के रूप में एक का गठन करता है, यह भी बहुत हद तक आदेश से निकलने वाले परिणामों पर निर्भर करेगा और यह भी कि क्या यह प्रतिकूल है। किसी भी सेवा शर्तों की स्थिति, वित्तीय रूप से सेवा की संभावनाओं को प्रभावित किया- और सभी श्रेणियों के मामलों पर समान मानदंड, मानदंड या मानक लागू नहीं किए जा सकते।जब तक कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता या किसी दंडात्मक परिणाम के साथ संबंधित व्यक्तियों से नहीं मिलता, तब तक स्थानांतरण के लिए उसी प्रकार की जांच, दृष्टिकोण और मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं है जैसा कि बर्खास्तगी, निर्वहन, वापसी या बर्खास्तगी के मामले में होता है और सार्वजनिक सेवा में अनुशासन, शालीनता और शिष्टाचार को लागू करने के लिए संबंधित विभाग पर छोड़ दिया जाना चाहिए जो कि सार्वजनिक सेवा की गुणवत्ता को बनाए रखने और प्रशासन के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य है।

9. क्या "अवांछनीय" अभिव्यक्ति का उपयोग, एक व्यक्ति को स्थानांतरित करने के साधन के रूप में, स्थानांतरण वास्तव में प्रभावित होने से पहले एक जांच की आवश्यकता थी, सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष यह मुद्दा था।

इस पहलू पर विचार करते हुए, पैरा 12 (पूर्वोक्त) में यह स्पष्ट रूप से अधिकथित किया गया है कि उन्मोचन के रूप में सेवा में बने रहने को प्रभावित करने वाले किसी आदेश में 'अवांछनीय' अभिव्यक्ति का उपयोग अलग है और किसी कर्मचारी को स्थानांतरित करने में इस अभिव्यक्ति के उपयोग के विरोधाभास है।किसी मामले में अदालतों/न्यायाधिकरणों द्वारा किए जाने वाले अभ्यास का तरीका, प्रकृति और सीमा यह तय करने के लिए कि क्या इस तरह की अभिव्यक्ति का उपयोग सजा के रूप में कलंक डालता है या कलंक का गठन करता है, यह भी बहुत कुछ आदेश से निकलने वाले परिणामों पर निर्भर करता है।परिणामों के दायरे में, सेवा शर्तों के पहलू को भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया गया।वित्तीय रूप से स्थिति और सेवा की संभावनाएं दो महत्वपूर्ण कारक थे, जो सेवा की स्थितियों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकते थे।सारांश में, उनके लार्डशिप्स ने कहा कि जब तक स्थानांतरण में कोई प्रतिकूल प्रभाव शामिल न हो या किसी दंडात्मक परिणाम के साथ हस्तांतरित व्यक्ति का दौरा न किया गया हो, उन्हें उसी प्रकार की जांच, दृष्टिकोण और आकलन के अधीन होने की आवश्यकता नहीं है जैसा कि बर्खास्तगी, उन्मोचन, वापसी या सेवा की समाप्ति के मामले में होता है।सार्वजनिक सेवा में अनुशासन, शालीनता और शिष्टाचार को लागू करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के पास पूर्ण छूट होनी चाहिए, जो सार्वजनिक सेवा की गुणवत्ता को बनाए रखने के साथ-साथ प्रशासन के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्विवाद रूप से आवश्यक है।

10. उसी फैसले में, उनके लार्डशिप्स ने दुर्व्यवहार आदि के आरोपों के संबंध में जांच करने के मुद्दे पर भी विचार किया। यद्यपि स्थानांतरण को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से, यह पता लगाने के लिए एक जांच करने का प्रश्न अनावश्यक था कि क्या किसी सरकारी कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार किया गया या अनुचित व्यवहार किया गया।सी स्थिति में वास्तव में जिस चीज की जरूरत थी, वह समसामयिक रिकॉर्ड के साथ-साथ स्थानांतरण का आदेश जारी करने से पहले शिकायत की गई घटना के बारे में रिपोर्ट के आधार पर सक्षम प्राधिकारी की प्रथम दृष्टया संतुष्टि थी।

दूसरे शब्दों में, भले ही दुर्व्यवहार या कदाचार आदि के आरोपों के संबंध में स्थानांतरण आदेश जारी करने से पहले विभागीय जांच आयोजित करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन यह आवश्यक था कि सक्षम प्राधिकारी की प्रथमदृष्टया संतुष्टि ऐसे किसी आरोप के अस्तित्व या सच्चाई के संबंध में होनी चाहिए।इस संबंध में निम्नलिखित संप्रेक्षण, जैसा कि भारत संघ और अन्य बनाम जनार्दन देबनाथ और अन्य (उपर्युक्त) के मामले में निर्णय के पैरा 14 में अंतर्विष्ट है, प्रासंगिक हैं और हम इसे उद्धृत करते हैंः

"14. प्रतिवादी के विरुद्ध लगाए गए आरोप गम्भीर प्रकृति के हैं और आरोपित आचरण निश्चित रूप से अशोभनीय है।क्या कोई दुर्व्यवहार हुआ था, यह एक ऐसा प्रश्न है, जिसकी विभागीय कार्यवाही में जांच की जा सकती है।स्थानांतरण को प्रभावी बनाने के प्रयोजनों के लिए, यह पता लगाने के लिए कि क्या किसी कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार या आचरण किया गया था, जांच करने का प्रश्न अनावश्यक है और शिकायत की गई घटना के बारे में समकालीन रिपोर्टों पर संबंधित प्राधिकारी का प्रथमदृष्टया संतुष्टि है और यदि एक विस्तृत जांच करने की आवश्यकता है, जैसा कि प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है, तो शिष्टाचार को लागू करने और ईमानदारी सुनिश्चित करने के लिए एक कर्मचारी का स्थानांतरण करने के उद्देश्य पर जोर दिया जाएगा।सवाल यह

है कि क्या उत्तरदाताओं को एक अलग डिवीजन में स्थानांतरित किया जा सकता है, यह नियोक्ता के लिए प्रशासनिक आवश्यकताओं और प्रशासन द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं के समाधान की सीमा के आधार पर विचार करने का मामला है।यह न्यायालय का काम नहीं है कि वह किसी न किसी तरह का निर्देश दे।उच्च न्यायालय का निर्णय स्पष्ट रूप से अक्षम्य है और इसे रद्द कर दिया गया है।हम निर्देश देते हैं उच्च न्यायालय के समक्ष दायर रिट याचिकाओं को खारिज किया जाना चाहिए।लागत के रूप में बिना किसी आदेश के अपील की अनुमति है। "

11. प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण किसी दंड के बराबर नहीं है और न ही यह दंडात्मक प्रकृति का है क्योंकि किसी व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करके कोई दंड नहीं लगाया जाता है, जो चरित्र या सीमा में या तो छोटा या बड़ा है।केवल इतना होता है कि स्थानांतरित व्यक्ति को एक स्थान और पद से हटाकर दूसरे स्थान और पद पर ले जाया जाता है।हस्तांतरित किए गए व्यक्ति की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है और न ही उसकी सेवा संभावनाओं पर किसी भी तरह का वित्तीय प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

12. एक रक्षोपाय जो उपर्युक्त संसूचना के पैरा 4 में अंतर्निहित है और जिसे भारत संघ और अन्य बनाम जनार्दन देबनाथ और अन्य (पूर्वोक्त) के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पैरा 14 में भी समर्थन प्राप्त है, यह है कि तीन आरोपों में से किसी भी आरोप का अस्तित्व और सच्चाई, पैरा 4 में एक उल्लेख पाया गया है, प्रशासनिक आधार पर किसी व्यक्ति के हस्तांतरण का आदेश देने के लिए अनिवार्य है और ऐसे आरोप का अस्तित्व और सच्चाई समकालीन अभिलेख के साथ-साथ रिपोर्टों के आधार पर हस्तांतरण करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के दिमाग में प्रथमदृष्टया स्थापित किया जाना चाहिए।दूसरे शब्दों में, प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण को प्रभावित करने से पहले, स्थानांतरित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को प्रथम दृष्टया उस व्यक्ति के खिलाफ आरोपों की मौजूदगी और सत्यता के बारे में अपनी संतुष्टि दर्ज करनी चाहिए, जिसे स्थानांतरित करने की मांग की गई है।यह व्यक्ति के स्थानांतरण के लिए एक पूर्व शर्त है।यदि ऐसा नहीं होता है और यथोचित सत्यापन और पुष्टि पर प्रथम दृष्टया संतुष्टि पर नहीं पहुंचा जाता है और विधिवत दर्ज नहीं किया जाता है, तो प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण को प्रभावित करने वाला कोई भी और हर आदेश खराब होता है और साथ ही यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है।केवल इसी आधार पर, ऐसा आदेश रद्द किया जाना चाहिए और अपास्त किया जाना चाहिए।

13. वर्तमान अपील के साथ-साथ रिट याचिका में, विवादित स्थानांतरण आदेशों के खिलाफ केवल यही आधार उठाया गया था कि वे प्रशासनिक आधार पर पारित किए गए थे और इसलिए, वास्तव में कानून की दृष्टि से खराब थे।विद्वान एकल न्यायाधीश ने, हमारी सुविचारित मत में, विशेष अपील में आक्षेपित निर्णय में, सही दृष्टिकोण अपनाया है कि प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण आदेश कानूनन गलत नहीं है।हम उनसे सहमत हैं।तदनुसार, हम पूर्वोक्त रिट याचिका में दिनांक 1 जुलाई, 2008 के अंतर्वर्ती आदेश में खंडपीठ द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को खारिज करते हैं।हम, पूर्वोक्त दृष्टिकोण को बरकरार रखते हुए, अपनी राय को प्रतिस्थापित करते हुए यह निर्धारित करते हैं कि भले ही प्रशासनिक आधार पर एक स्थानांतरण आदेश कानून में बुरा नहीं है, किसी भी व्यक्ति को प्रशासनिक आधार पर तब तक स्थानांतरित नहीं किया जा सकता जब तक कि स्थानांतरण आदेश जारी करने से पहले, प्राधिकरण स्थानान्तरण के लिए सक्षम है और संबंधित व्यक्ति के स्थानांतरण को वारंट करने वाले तीन कारकों/आधारों/विचारों में से किसी एक के अस्तित्व और सत्यता के बारे में उचित सत्यापन और पुष्टि पर अपनी संतुष्टि दर्ज की है।

14. विशेष अपील और रिट याचिका का कोई आधार नहीं है।तदनुसार, उन्हें बर्खास्त किया जाता है, लेकिन लागत के बारे में किसी भी आदेश के बिना।

(न्यायमूर्ति धर्म वीर) (न्यायमूर्ति बीसी कांडपाल) (मुख्य न्यायमूर्ति वी. के. गुप्ता)